भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, ... 2024

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/ / /……, - बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 32बी, 32सी और 32डी के साथ पठित धारा 114ए(2)(आईडी) और (आईई) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 के साथ पठित धारा 14(2)(त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभ**

   क) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 कहलाएँगे।

   ख) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व) विनियम, 2015 का उनके अधीन जारी किये गये सभी अन्य परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्धारणों सहित अधिक्रमण करेंगे।

   ग) ये विनियम 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हैं और उसके बाद ये 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे जब तक इसके पूर्व इनकी समीक्षा नहीं की जाती अथवा इनका निरसन नहीं किया जाता।

2. **उद्देश्य और सिद्धांत**

   इन विनियमों का उद्देश्य उस न्यूनतम ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र व्यवसाय जिसका जोखिम-अंकन बीमाकर्ताओं से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32बी और 32सी के

अंतर्गत करना अपेक्षित है तथा उस न्यूनतम अन्य पक्ष मोटर बीमा व्यवसाय जिसका जोखिम-अंकन साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32डी के अंतर्गत करना अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट करना है।

3. परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित और पिछड़े वर्ग" से गरीबी की रेखा से नीचे रहनेवाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं;

(घ) "ग्राम पंचायत" भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ख के अंतर्गत परिभाषित रूप में है;

(ङ) "अनौपचारिक क्षेत्र" में प्रायः अलिखित और अनौपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध रखते हुए, प्रधानतः श्रम-प्रधान कार्य से युक्त, खुदरा व्यापार, परिवहन, मरम्मत और रखरखाव, निर्माण, वैयक्तिक और घरेलू सेवाएँ और विनिर्माण जैसे विविध प्रकार के कार्यकलापों के साथ रोजगार और आय उत्पन्न करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ विद्यमान विशिष्ट रूप से निम्न स्तरीय संगठन और प्रौद्योगिकी से युक्त लघु स्तरीय, स्वनियोजित श्रमिक शामिल हैं;

(च) "अग्रणी बीमाकर्ता" से प्राधिकरण द्वारा राज्य/ संघराज्य क्षेत्र के लिए अग्रणी के रूप में प्राधिकृत बीमाकर्ता अभिप्रेत है;

(छ) "मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय" के अंतर्गत मोटर बीमा केवल देयता पालिसियाँ एवं पैकेज पालिसियों का देयता अंश शामिल है;

(ज) "अन्य श्रेणियों के व्यक्ति" में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में यथापरिभाषित निर्योग्यता से युक्त व्यक्ति शामिल हैं जो संभवतः लाभकारी तौर पर नियोजित नहीं हैं और इनमें मस्तिष्क-संस्तंभ से आक्रांत (स्पैस्टिक) व्यक्तियों और निर्योग्यता से युक्त व्यक्तियों का संरक्षण करने के लिए विद्यमान अभिभावक भी शामिल हैं जिनके लिए बीमा आवश्यक है;

(झ) "ग्रामीण क्षेत्र" से नवीनतम उपलब्ध दशवार्षिक जनसंख्या की गणना (भारत की जनगणना) के अनुसार "ग्रामीण" के रूप में वर्गीकृत स्थान अथवा क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(ञ) "सामाजिक क्षेत्र" में असंगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित या पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के व्यक्ति शामिल हैं जो दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहते हैं;

(ट) "असंगठित क्षेत्र" असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में परिभाषित रूप में है;

(ठ) यहाँ इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा बीमा नियम, 1939 अथवा उनके अधीन जारी किये गये किन्हीं अन्य विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय II

भाग I

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के संबध में दायित्व

4. प्रत्येक बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि वह यहाँ इन विनियमों में निर्दिष्ट वित्तीय वर्षों के दौरान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दायित्व पूरा करेगा–

(क) ग्रामीण क्षेत्र

(क) **जीवन बीमा -** प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता 3 वर्ष में वैयक्तिक बीमा पालिसियों के अंतर्गत और/या सामूहिक बीमा पालिसियों के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत में निम्नलिखित न्यूनतम संख्या में जीवनों का बीमा करेगाः

क्रम सं.	विनियमों की अधिसूचना के बाद अनुवर्ती वित्तीय वर्ष	देश में सभी ग्राम पंचायतों में सभी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा कवर किये जानेवाले जीवनों की न्यूनतम संख्या
i	प्रथम वर्ष	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 25,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीवनों का 30%
ii	दूसरा वर्ष	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 50,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीवनों का 40%

iii	तीसरा वर्ष	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 75,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीवनों का 50%

(ख) **साधारण बीमा -** प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और ईसीजीसी को छोड़कर) 3 वर्ष में ग्राम पंचायतों में निम्नलिखित संख्या में क) अग्नि बीमा के अंतर्गत निवासों और ख) मोटर बीमा के अंतर्गत वाहनों का बीमा करेगाः

क्रम सं.	विनियमों की अधिसूचना के बाद अनुवर्ती वित्तीय वर्ष	देश में सभी ग्राम पंचायतों में सभी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा संपत्ति बीमा के अंतर्गत कवर किये जानेवाले निवासों की न्यूनतम संख्या	देश में सभी ग्राम पंचायतों में सभी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा मोटर बीमा (व्यापक और टीपी) के अंतर्गत कवर किये जानेवाले वाहनों की न्यूनतम संख्या
i	प्रथम वर्ष	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित रूप में न्यूनतम 25,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में निवासों का 30%	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 25,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाहनों का 30%
ii	दूसरा वर्ष	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 50,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में निवासों का 40%	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 50,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाहनों का 40%
iii	तीसरा वर्ष	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 75,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में निवासों का 50%	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 75,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाहनों का 50%

(ग) **स्वास्थ्य बीमा -** स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (ईसीजीसी को छोड़कर) प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता 3 वर्ष में एक ग्राम पंचायत में वैयक्तिक पालिसियों के अंतर्गत और/ या सामूहिक पालिसियों के अंतर्गत निम्नलिखित न्यूनतम संख्या में जीवनों का जोखिम-अंकन करेगाः

क्रम सं.	विनियमों की अधिसूचना के बाद अनुवर्ती वित्तीय वर्ष	देश में सभी ग्राम पंचायतों में एसएएचआई सहित सभी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा कवर किये जानेवाले स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत जीवनों की न्यूनतम संख्या	देश में सभी ग्राम पंचायतों में सभी साधारण बीमाकर्ताओं और एसएएचआई द्वारा कवर किये जानेवाले वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत जीवनों की न्यूनतम संख्या
i	प्रथम वर्ष	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 25,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीवनों का 30%	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 25,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीवनों का 30%
ii	दूसरा वर्ष	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 50,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीवनों का 40%	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 50,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीवनों का 40%
iii	तीसरा वर्ष	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 75,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीवनों का 50%	अग्रणी बीमाकर्ता द्वारा संचालित रूप में न्यूनतम 75,000 ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत में जीवनों का 50%

(ख) सामाजिक क्षेत्र

सभी बीमाकर्ताओं के संबंध में (जीवन, साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य, ईसीजीसी को छोड़कर)

क्रम सं.	विनियमों की अधिसूचना के बाद अनुवर्ती वित्तीय वर्ष	कवर किये गये कुल जीवनों के अनुपात के रूप में कवर किये जानेवाले जीवनों का न्यूनतम प्रतिशत
1.	प्रथम वर्ष	20%
2.	दूसरा वर्ष	25%
3.	तीसरा वर्ष	30%

5. ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों पर लागू शर्तें

क) सभी बीमाकर्ताओं के संबंध में विनियम 4 में उल्लिखित शब्द `जीवन' बीमाकृत और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रचलित मानव जीवनों को निर्दिष्ट करता है।

ख) ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्वों का परिकलन करते समय केवल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम पर विचार किया जाएगा।

ग) सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित बीमा व्यवसाय, जहाँ कवर किये गये सदस्यों / लाभार्थियों से किसी अंशदान के साथ/बिना कुल/आंशिक प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, पर ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के लिए विचार किया जाएगा। शंका के निवारण के लिए इसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्र और/या राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं, जैसे प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेवाई), आदि को संबंधित बीमाकर्ताओं के ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों को पूरा करने के लिए माना जाएगा।

घ) बीपीएल कार्डधारकों, मनरेगा कार्डधारकों, ई-श्रम कार्डधारकों, डीबीटी लाभार्थियों, आयुष्मान भारत कार्डधारकों, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों, जन धन खाताधारकों, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों, प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, अन्य सरकारी योजनाओं और प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी अन्य योजना/ लाभार्थी को जारी की गई जीवनों को कवर करनेवाली बीमा पालिसियाँ सामाजिक क्षेत्र दायित्व के लिए अर्हता-प्राप्त होंगी।

ङ) जारी की गई सूक्ष्म बीमा पालिसियाँ सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के लिए गिनी जाएँगी। जहाँ कोई सूक्ष्म बीमा पालिसी किसी ग्रामीण क्षेत्र में जारी की जाती है, वहाँ ऐसी सूक्ष्म बीमा पालिसी की गणना दोनों ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र दायित्यों के लिए अलग-अलग की जा सकती है।

च) बीमा वाहकों के द्वारा बेची गई बीमा पालिसियाँ ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के लिए गिनी जाएँगी।

छ) बीमाकर्ताओं के बीच ग्राम पंचायतों, जीवनों, निवासों, वाहनों की संख्या का आबंटन मास्टर परिपत्र में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

भाग II

मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय के संबंध में दायित्व

6. दायित्वों की गणना करने की पद्धति

क) प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और ईसीजीसी को छोड़कर) 3 वर्ष में मालवाहक और यात्रीवाहक वाहनों के सांविधिक मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा के निम्नलिखित न्यूनतम प्रतिशत का जोखिम-अंकन करेगाः

क्रम सं.	विनियमों की अधिसूचना के बाद अनुवर्ती वित्तीय वर्ष	मालवाहक और यात्रीवाहक वाहनों की सांविधिक मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा संख्या का न्यूनतम प्रतिशत
i.	प्रथम वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष में कवर किये गये मालवाहक और यात्री -वाहक वाहनों की कुल संख्या की तुलना में 20% वृद्धि अथवा प्रत्येक श्रेणी में 10,000 वाहन, जो भी अधिक हो
ii.	दूसरा वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष में कवर किये गये मालवाहक और यात्री-वाहक वाहनों की कुल संख्या की तुलना में 20% वृद्धि अथवा प्रत्येक श्रेणी में 10,000 वाहन, जो भी अधिक हो
iii.	तीसरा वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष में कवर किये गये मालवाहक और यात्री-वाहक वाहनों की कुल संख्या की तुलना में 20% वृद्धि अथवा प्रत्येक श्रेणी में 10,000 वाहन, जो भी अधिक हो

ख) **नये** मालवाहक और यात्रीवाहक वाहनों के कवरेज को मोटर टीपी दायित्वों के लिए नहीं गिना जाएगा। मोटर टीपी दायित्वों की पूर्ति का अंशदान वर्तमान वाहनों के नवीकरण और अबीमाकृत वाहनों का बीमा करने के द्वारा किया जाएगा, बशर्ते कि बीमा में अंतराल कम से कम 30 दिन का हो।

ग) प्रत्येक नया बीमाकर्ता जिसे पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, अपने परिचालनों के पहले वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 10,000 मालवाहक और 10,000 यात्रीवाहक वाहनों का जोखिम-अंकन करेगा।

घ) पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में प्रत्येक बीमाकर्ता द्वारा कवर किये जानेवाले वाहनों की संख्या समय-समय पर निर्धारित रूप में होगी।

ङ) ये विनियम विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं, भारतीय कृषि बीमा कंपनी, भारतीय निर्यात गारंटी निगम सहित, स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए लागू नहीं हैं।

च) साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाला कोई बीमाकर्ता किसी भी समय किसी भी संभावित पालिसीधारक के लिए मोटर अन्य पक्ष बीमा जोखिम को कवर करनेवाली "केवल देयता" मोटर पालिसी का जोखिम-अंकन करने से इनकार नहीं करेगा।

अध्याय III

कार्यान्वयन की प्रक्रिया और अन्य उपबंध

7. दायित्वों को पूरा करने का विकल्प

क) इन दायित्वों के प्रयोजन के लिए, पहले वर्ष की गणना उस वर्ष के रूप में की जाएगी, जिसमें ये विनियम प्रवृत्त होते हैं।

बशर्ते कि उन मामलों में जहाँ बीमाकर्ता परिचालन वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में प्रारंभ करता हैः

(i) उपर्युक्त अवधि के लिए कोई भी ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर टीपी दायित्व लागू नहीं होंगे, तथा

(ii) उक्त विनियम में निर्दिष्ट रूप में उक्त वार्षिक दायित्वों की गणना अगले वित्तीय वर्ष से की जाएगी, जो इस विनियम के अनुपालन के प्रयोजन के लिए परिचालनों के पहले वर्ष के रूप में माना जाएगा।

तथापि, उन मामलों में जहाँ बीमाकर्ता परिचालन वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में प्रारंभ करता है, वहाँ उस वित्तीय वर्ष को परिचालनों के पहले वर्ष के रूप में माना जाएगा और पहले वर्ष के लिए लागू दायित्व पहले वर्ष के लिए निर्धारित प्रतिशत के आधे होंगे।

ख) बीमाकर्ता ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर टीपी दायित्व ऐसे एक या अधिक बीमाकर्ताओं को बेच सकता है जो अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाये हों। बीमाकर्ता अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए एक या अधिक बीमाकर्ताओं से ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर टीपी दायित्वों को खरीद सकता है।

बशर्ते कि दायित्वों की खरीद और बिक्री किसी बीमाकर्ता के लक्ष्य के 20% से अधिक नहीं होगी।

आगे यह भी शर्त होगी कि बेचनेवाला बीमाकर्ता उक्त दायित्वों का उतना ही अंश बेच सकता है, जो उसके लक्ष्य से अधिक है।

आगे यह भी शर्त होगी कि बीमाकर्ता जिसने दायित्वों को बेचा है, बीमाकर्ता के रूप में जारी रहेगा और बीमा पालिसी की सर्विसिंग करने और उसके अंतर्गत दावे का निपटान करने के लिए जिम्मेदार होगा। दायित्वों की बिक्री केवल क्रेता द्वारा दायित्वों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए है तथा मूल बीमाकर्ता के नाम पर स्थित मूल पालिसी का विधिमान्य होना जारी रहेगा।

ग) प्राधिकरण समय-समय पर इन विनियमों में विनिर्दिष्ट दायित्वों को निर्धारित या संशोधित कर सकता है तथा ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के लिए बीमाकर्ता के

दायित्वों के लिए निर्धारित प्रतिशतों में परिवर्तन अथवा संशोधन निर्धारित कर सकता है।

8. विवरणियों का प्रस्तुतीकरण

क) प्रत्येक बीमाकर्ता समय-समय पर मास्टर परिपत्र में यथानिर्धारित तरीके से एक विवरणी प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक बीमाकर्ता इन विनियमों के संदर्भ में पूरे किये गये दायित्वों के विवरणों का सारांश प्रस्तुत करते समय वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिन के अंदर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिया गया एक वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

9. चूक की स्थिति में कार्रवाईः

क) प्राधिकरण किसी भी समय लिखित में एक आदेश के द्वारा किसी भी बीमाकर्ता का निरीक्षण करवा सकता है तथा जो इन विनियमों के अनुपालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ख) इन विनियमों के अनुपालन में पाई गई किसी भी चूक के संबंध में अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

10. **निरसन और बचत खंड**

क) ये विनियम, इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015 और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के प्रति बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015 को निरस्त करेंगे।

ख) ऐसे निरसन के होने के बावजूद, ऐसे निरसन से पहले उक्त निरस्त विनियमों के अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई अथवा किये गये रूप में अर्थ रखनेवाली कोई भी गतिविधि विधिमान्य होगी।